

NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत में डिजिटल सतर्कतावाद और
सोशल मीडिया न्याय

www.nextias.com

भारत में डिजिटल सतर्कतावाद और सोशल मीडिया न्याय

संदर्भ

- हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि सोशल मीडिया पोस्ट केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रहते, बल्कि 'सार्वजनिक शर्मिंदगी के उत्प्रेरक' के रूप में कार्य कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्याय वितरण के समानांतर एक नए क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं। इसने भारत में डिजिटल सतर्कतावाद (Digital Vigilantism) पर बहस को पुनर्जीवित किया है।

डिजिटल सतर्कतावाद को समझना

- पारंपरिक रूप से सतर्कतावाद का अर्थ है निजी नागरिकों द्वारा विधिक ढाँचे से बाहर न्याय लागू करना।
- डिजिटल संदर्भ में इसका अर्थ है सार्वजनिक नामकरण और शर्मिंदगी, आरोपों का वायरल प्रसार, तथा न्यायिक समीक्षा के बिना ऑनलाइन 'मुकदमे'।
- भारत में डिजिटल सतर्कतावाद औपचारिक संस्थाओं पर विश्वास संकट से उत्पन्न होता है, क्योंकि सोशल मीडिया दृश्यता, तात्कालिकता और सामूहिक दबाव प्रदान करता है।
- किंतु इसमें मानहानि, मिथ्या सूचना और विधिक प्रक्रिया के क्षरण का जोखिम है। यह केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग का मामला नहीं, बल्कि संस्थागत अक्षमता का गहरा संरचनात्मक मुद्दा है।

डिजिटल सतर्कतावाद के पक्ष में तर्क

- संस्थागत अंतराल का समापन:** न्यायालयों में विलंब और कमजोर प्रवर्तन तंत्र के कारण डिजिटल सतर्कतावाद उत्पन्न होता है।
 - यह पीड़ितों को तात्कालिक दृश्यता और आवाज़ देता है।
- हाशिए पर स्थित आवाज़ों का सशक्तिकरण:** #MeToo जैसे प्लेटफॉर्म ने पीड़ितों को पितृसत्तात्मक और नौकरशाही बाधाओं को पार करने में सक्षम बनाया।
- जवाबदेही बढ़ाना:** सार्वजनिक खुलासा कंपनियों, सरकारों और संस्थाओं को प्रतिष्ठा जोखिम के कारण शीघ्र कार्रवाई करने को बाध्य करता है।
- निवारक प्रभाव:** सार्वजनिक शर्मिंदगी का भय दुराचार को हतोत्साहित कर सकता है।
- न्याय का लोकतंत्रीकरण:** यह नागरिक भागीदारी को सक्षम बनाता है और न्याय प्रक्रियाओं पर अभिजात संस्थाओं के एकाधिकार को कम करता है।

डिजिटल सतर्कतावाद के विरुद्ध तर्क

- कानून के शासन को कमजोर करना:** यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निर्दोषता की धारणा का उल्लंघन करता है।
- मिथ्या सूचना और झूठे आरोपों का जोखिम:** सत्यापन तंत्र की कमी से अफवाहें और वायरल सामग्री वास्तविक हानि पहुंचा सकती हैं।
- अप्रतिवर्ती प्रतिष्ठा हानि:** अप्रमाणित आरोप भी करियर नष्ट कर सकते हैं और सामाजिक बहिष्कार का कारण बनते हैं।
- भीड़ मानसिकता और ऑनलाइन उत्पीड़न:** यह डॉक्सिंग, साइबरबुलिंग और सामूहिक दंड व्यवहार को जन्म देता है।

- **जवाबदेही का अभाव:** गुमनामी झूठे आरोप लगाने वालों को सुरक्षा देती है।
- **संवैधानिक मूल्यों के लिए खतरा:** अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (प्रतिष्ठा और गरिमा का अधिकार) के बीच संघर्ष नागरिक स्वतंत्रताओं एवं विधिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है।

सोशल मीडिया न्याय का उपकरण क्यों बनता है?

- **प्रणालीगत विफलताएँ:** पुलिस की उदासीनता, पीड़ित-दोषारोपण, POSH अधिनियम 2013 और निर्भया संशोधन (2013) जैसे कानूनों का कमजोर प्रवर्तन।
- **न्याय वितरण में समस्याएँ:** मामलों की लंबितता और विलंबित न्याय।
- **कानूनी चेतना में बदलाव:** लोग न्यायालयों को दरकिनार कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं।
- **सोशल मीडिया प्रसार के जोखिम:** मानहानि, मिथ्या सूचना, गुमनामी से झूठे आरोप और अपरिवर्तनीय प्रतिष्ठा हानि।

आगे की राह

- **संस्थागत सुधार:** लैंगिक अपराधों के लिए फास्ट-ट्रैक न्यायालय; POSH अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समितियों को सुदृढ़ करना; पुलिस संवेदनशीलता और जवाबदेही।
- **डिजिटल विनियमन:** आईटी नियम 2021 का प्रभावी क्रियान्वयन; तथ्य-जाँच और शिकायत निवारण तंत्र।
- **अधिकारों का संतुलन:** पीड़ितों की आवाज की रक्षा करते हुए निर्दोषता की धारणा और निष्पक्ष मुकदमे को सुनिश्चित करना।
- **नैतिक आयाम:** जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देना; मीडिया साक्षरता और सत्यापन संस्कृति को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

- भारत में डिजिटल सतर्कतावाद का उदय केवल सोशल मीडिया को विनियमित करने की चुनौती नहीं है, बल्कि यह संस्थागत अक्षमताओं और न्याय प्रणाली में घटते सार्वजनिक विश्वास का प्रतिबिंब है।
- सोशल मीडिया पीड़ितों को सशक्त करता है, किंतु अनियंत्रित उपयोग कानून के शासन और प्राकृतिक न्याय को कमजोर कर सकता है।
- समाधान संस्थाओं को सुदृढ़ करने, समय पर न्याय सुनिश्चित करने और ऐसा संतुलित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में है जहाँ जवाबदेही और निष्पक्षता साथ-साथ विद्यमान हों।

स्रोत: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: डिजिटल सतर्कतावाद संस्थागत विफलता का लक्षण है, न कि केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग का परिणाम। भारत में सोशल मीडिया न्याय के संदर्भ में चर्चा कीजिए।